

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

सं० सं०- निग/सारा (यो० एवं वि०) नि०था०कां०-०१/२०२५

पटना, दिनांक :- 21/5/25

अधिसूचना - 3505 (5)

योजना एवं विकास विभाग पटना के पत्रांक-2837 दिनांक-26.05.2025 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार पटना के पत्रांक-727 दिनांक-14.05.2025 की छायाप्रति अनु० सहित संलग्न करते हुए सूचित किया गया कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल के द्वारा दिनांक 29.04.2025 को परिवादी श्री संतोष प्रसाद यादव से श्री अजय कुमार, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) द्वारा एग्रीमेन्ट नं०-SBD-03/23-24 का कार्य पंचायत सरकार भवन सिसवा खरार अंतर्गत मननपुर ग्राम में कार्य की प्राक्कलित राशि रुपये 3,01,33,558/- में कार्य कराये गये भुगतान की राशि लगभग रू० 60 लाख के भुगतान के एवज में रू० 2,00,000/- रिश्त की राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से आदेशानुसार उन्हें न्यायिक हिरासत में शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में भेजा गया। साथ ही, इनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या- 021 दिनांक 28.04.2025, धारा-7 (ए) भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) दर्ज किया गया।

2. प्रश्नगत मामले में विभागीय स्तर पर समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं०-5598 (एस) दिनांक-24.06.2025 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (2)-क में निहित प्रावधान के तहत काराधीन होने की तिथि-29.04.2025 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री कुमार द्वारा उपर्युक्त निगरानी थाना कांड में दायर Criminal Miscellaneous Case No.- 44053/2025 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक- 15.10.2025 को पारित बेल (Bail) आदेश के आलोक में कारा से दिनांक-19.10.2025 को मुक्त होने के पश्चात दिनांक-21.10.2025 को पूर्वाहन विभाग में योगदान समर्पित किया गया।

4. प्रश्नगत मामले के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (3) (i) के प्रावधान के आलोक में श्री कुमार के द्वारा दिनांक-21.10.2025 के पूर्वाहन में योगदान किये जाने की तिथि से निलंबन मुक्त करते हुए उनके योगदान को स्वीकृत किया जाता है।

5. श्री कुमार के काराधीन रहते हुए निलंबन अवधि (दिनांक-29.04.2025 से दिनांक-20.10.2025) का विनियमन नियमानुसार उनके विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या- 021 दिनांक 28.04.2025 के निष्पादन के उपरान्त उसके फलाफल के आधार पर किया जायेगा।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(संजय कुमार सिन्हा)

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- निग/सारा (यो0 एवं वि0) नि0था0कां0-01/2025

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :-

ज्ञापांक :- निग/सारा (यो0 एवं वि0) नि0था0कां0-01/2025

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (द्वारा-आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, पटना)।

अनु0-यथोक्त।

ह0/-

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :-

ज्ञापांक :- निग/सारा (यो0 एवं वि0) नि0था0कां0-01/2025

प्रतिलिपि :- सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना/अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र0को0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, मोतिहारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/2/ 6/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/श्री अजय कुमार, निलंबित कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

3506/S पटना, दिनांक :- 21/5/24

ज्ञापांक :- निग/सारा (यो0 एवं वि0) नि0था0कां0-01/2025

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय website पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।